Toppersnotes
Unleash the topper in you

2nd – ग्रेड

वरिष्ठ अध्यापक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

सामाजिक विज्ञान

द्वितीय – प्रश्न पत्र

भाग – 3

लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र व शिक्षण विधियाँ

SIERRA INNOVATIONS

RPSC 2ND GRADE – 2022

लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र व शिक्षण विधियाँ

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ, दायरा, प्रकृति विकास	1
2.	संगठन के सिद्धान्त	8
3.	प्रशासनिक व्यवहार निर्णय लेना, नैतिक, प्रेरणा व संचार या सम्प्रेषण प्रक्रिया	16
4.	भारत में प्रशासनिक सुधार (प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार के विशेष सन्दर्भ में)	25
5.	नागरिकों की शिकायतों का निवारण लोकपाल, लोकायुक्त और RTI	29
	समाजशास्त्र	
1.	समाजशास्त्र – अर्थ, प्रकृति एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य	31
2.	मौलिक अवधारणाएँ – समाज, सामाजिक समूह, प्रस्थिति तथा भूमिका, सामाजिक परिवर्तन	35
3.	जाति और वर्ग, अर्थ, विशेषताएँ, जाति और वर्ग में परिवर्तन	54
4.	वर्तमान सामाजिक समस्याएँ – जातिवाद, साम्प्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स	58
5.	वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरूषार्थ, विवाह व परिवार की अवधारणा	63
	अर्थशास्त्र	
1.	राष्ट्रीय आय की अवधारणा	74
2.	उपभोक्ता सन्तुलन और माँग एवं पूर्ति की अवधारणा	81

3.	मुद्रा, मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य, व्यापारिक बैंक व केन्द्रिय बैंक के कार्य	91
4.	बजट में आने वाले घाटे	103
5.	केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (Central Tendency)	105
6.	भारत का विदेशी व्यापार, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की अवधारणा	111
7.	भारत मे आर्थिक नियोजन एवं निर्धनता और बेरोजगारी	115
8.	नीति आयोग	122
9.	मानव विकास सूचकांक	124
	दर्शनशास्त्र	
1.	वैदिक व उपनिषद् दर्शन	134
2.	कार्टिशियन मैथड (कार्टीय विधि एवं सुकराती विधि)	140
3.	ग्रीक दर्शन – उपयोगितावाद, सुखवाद, कान्ट का दर्शन, संकल्प स्वतंत्रता, दण्ड के सिद्धान्त	143
4.	गीता के निष्काम कर्म एवं जैन धर्म की नैतिकता	151
	शिक्षण विधियाँ	
1.	सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, अवधारणा एवं उद्देश्य	155
2.	सामाजिक अध्ययन की पद्धतियाँ	159
3.	सामाजिक अध्ययन में कम्प्यूटर का महत्व	170
4.	सामाजिक अध्ययन शिक्षक के गुण, भूमिका, व्यावसायिक वृद्धि	171
5.	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप रेखा 2005, मापन एवं मूल्यांकन	173
6.	शिक्षण योजना – वार्षिक, इकाई, दैनिक, पाठ योजना	176
7.	उपलब्धि परीक्षण एवं ब्लूप्रिंट	180

भारत में प्रशासनिक सुधार
(प्रथम व द्वितीय प्रशासनिक सुधार के विशेष सन्दर्भ में)

कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। समय और आवश्यकता अनुसार उस व्यवस्था में परिवर्तन (सुधार) किया जाना चाहिये। जिससे व्यवस्था श्रमता में वद्धि की जा सके। इसलिए प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से प्रशासन में कुछ सनियोजित बदलाव लाए जाते हैं। जिससे प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि की जा सके और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रशासनिक क्षेत्र को सदैव सजग और चाक-चौबंद रहना जरूरी है यदि एसा नहीं है तो प्रशासनिक व्यवस्था में अपेक्षित सधार किया जाना आवश्यक है ऐसे सुधर से सधार एक समिति द्वारा किये जाते है, जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग समिति के नाम से जानते हैं।

प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता

भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार की देन हैं। ब्रिटिश कालीन प्रशासन का मुख्य उदेश्य कानून व व्यवस्था बनाये रखना था। स्वतंत्रता के पश्चात् नए माहौल में आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत महसूस हुई। बिटिश काल में भी भारत प्रशासनिक सुधार किये गये। इसके अतिरिक्त लोक सेवाओं के विकास के लिए 1918 में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिर्पोट सामने आई। स्वतंत्रता के पश्चात 'सचिवालय पुनर्गठन समिति'-1947, उद्योगपति कस्तुर भाई, लाल भाई के नेतत्व में 'मितव्ययिता समिति-1948 और आयगर समिति, 1949 का गठन किया गया, जिसने अपने-अपने सुझाव दिये। इसके पश्चात् लोक प्रशासन में सधार हेत कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया गया। जो निम्नलिखित है -

1. ए.डी. गोरेवाला समिति, 1951
2. एप्लनी समिति, 1953 व 1956
3. के. सन्थानम समिति, 1962

1. ए.डी. गोरेवाला समिति, 1951

लोक प्रशासन पर इस समिति द्वारा मार्च, 1951 में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए प्रशासन के महत्त्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए खर्च कम करने, कर्मचारियों का ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं निष्पक्ष होना तथा मंत्रियों, विधायको तथा प्रशासकों में उत्तरदायित्व की भावना का होना और राजकीय सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण आदि की उचित व्यवस्था करने की सिफारिशें की।

2. एप्लबी समिति, 1953 व 1956

भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1952 में प्रशासनिक सझाव देने के लिए अमेरा ि के लोक प्रशासन विशेषज्ञ पाल.एच. एप्पलेबी (Paul H. Appleby) को भारत आने का आग्रह किया। उन्होंने 15 जनवरी. 1953 को भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण' रिपोट में भारत को विश्व के 10-12 देशों में शामिल बताया गया, जिने यहाँ पर्याप्त रूप से लोक प्रशासन संगठित एवं विकसित है।

इसके पश्चात् 1956 में इस रिर्पोट का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया जिसमें ' राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने, लोक प्रशासन में अनुसंधान को बढ़ावा देने, भारत में लाक प्रशासन संस्थान स्थापित करने, केन्द्र में संगठनात्मक एवं प्रक्रिया इकाई स्थापना करन, योजना आयोग के कार्यों में वद्धि करने, प्रत्येक विभाग में मध्यवर्गी अधिकारियों का भता, कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश की।

3. संस्थानम समिति, 1962 रिपोट, 1964

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए सुझाव देने हेतु और तात्कालीन तंत्र की समीक्षा करने के लिए गहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के सन्थानम की अध्यक्षता में 1962 में इस समिति का गठन किया। इस समिति द्वारा 1964 में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करते हुए सिफारिशें प्रस्तुत की। जिसमें केन्द्रीय सर्तकता आयोग की स्थापना, सी.बी.आई की स्थापना और लोकपाल संस्था पर विचार करने की बात कही।

इसके पश्चात् सरकार द्वारा लोक प्रशासन में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किये।

प्रशासनिक सुधार आयोग इस ओर लिए गए कदमों में एक महत्त्वपूर्ण संस्थान है। भारत सरकार ने दो आयोगों का गठन किया, जिसमें पहला आयोग 1966-70 को अवधि में स्थापित किया गया और दूसरा आयोग, 2005 में स्थापित किया गया।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1970)

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन गृह मंत्रालय द्वारा 5 जनवरी, 1966 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा लोक प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु किया गया था। श्री मोरारजी आर. देसाई इसके अध्यक्ष थे और बाद में मोरारजी देसाई केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल हो गये और के. हनुमतैया इसके अध्यक्ष बने। आयोग द्वारा अपनी पहली रिर्पोट 20 अक्टूबर, 1966 को और दूसरी रिर्पोट 30 जून, 1970 को प्रस्तुत की। इस समिति द्वारा कुल 578 सुझाव दिये।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का संगठन

अध्यक्ष : मोरारजी देसाई

बाद में - के. हनुमंतैया (17 मार्च, 1967hU

सदस्य - 4

1. के. हनुमन्तैया
2. हरिशचन्द्र माथुर
3. जी.एस. पाठक
4. एच.बी. कामथ

सदस्य सचिव : बी. शंकर/वी.वी.जी.एस. पाठक को 24 जनवरी, 1966 को कानून मंत्री बनाया गया। उनके स्थान पर राज्य सभा सदस्य देवदत्त मुखर्जी।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जनादेश

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को सार्वजनिक प्रशासन में सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने और विकास के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ ही साथ एक सार्वजनिक साधन माना गया ताकि सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता और अखंडता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके और वे भी, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी है। विशेष रूप से आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार व उनकी समीक्षा करना था और इन क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे:

1. भारत सरकार की मशीनरी (तंत्र) और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
2. सभी स्तरों पर योजना मशीनरी या नियोजन की व्यवस्था
3. केन्द्र-राज्य सम्बन्ध
4. राज्य स्तर पर प्रशासन
5. वित्तीय प्रशासन
6. कार्मिक प्रशासन
7. आर्थिक प्रशासन
8. जिला प्रशासन
9. कृषि प्रशासन
10. नागरिकों की शिकायतों का निवारण।

अपवाद : रक्षा, रेलवे, विदेश मंत्रालय, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़ी सविस्तार जाँच को अपने सीमा क्षेत्र से अलग कर सकता है क्योंकि इनके पास अपने स्वयं के आयोग हैं। इनकी जाँच का कार्य अलग से हो रहा था। हालांकि, आयोग, समग्र सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन के सुझाव देते हुए इन क्षेत्रों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र होता है।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

आयोग ने 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है :

1. नागरिकों की शिकायतों के निवारण के मुद्दे :- लोक सेवकों के विरूद्ध जनता के अभियोगो के निराकरण हेतु 'लोकपाल' एवं ' लोकायुक्त की नियुक्ति की जाये।
2. योजना के लिए मशीनरी :- योजना आयोग की सदस्य संख्या 7 रखी जाये। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री और अन्य मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष या सदस्य न बनाया जाये। मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित 16 मंत्री हो। कुल मंत्रियों की संख्या 40 हो विशेष परिस्थितियों में 50 हो।
3. योजना के लिए मशीनरी (अंतिम)
4. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :- सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 'क्षेत्रक निगम प्रणाली' तथा लेखा परीक्षा मण्डल' आदि की व्यवस्था हो।
5. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण :- लेखा परीक्षण का दृष्टिोण सकारात्मक व रचनात्मक हो। विभागों का वित्तीय क्षमता का विकास हो।
6. आर्थिक प्रशासन :- विभागों की वित्तीय क्षमता का विकास हो।
7. भारत सरकार की मशीनरी और इसकी कार्य प्रक्रियाएँ
8. जीवन बीमा प्रशासन
9. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन
10. केन्द्र शासित प्रदेशों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एन.ई.एफ.ए.) का प्रशासन
11. कार्मिक प्रशासन :- प्रधानमंत्री के अधीन 'कार्मिक विभाग' स्थापित किया जाए।
12. वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
13. केन्द्र-राज्य संबंध :- संविधान के अनुच्छेद 263 के द्वारा अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना हो। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान अधिक हस्तक्षेप न किया जाये।
14. राज्य प्रशासन :- राज्यों में 'कार्मिक विभाग' एवं 'लोकायुक्त' का पद स्थापित हो।
15. लघु स्तर सेक्टर :- जिला प्रशासन को दो भागों में बाँटा जाये- नियामकीय तथा विकासात्मक।
16. रेलवे सेवा
17. कोषागार
18. भारतीय रिजर्व बैंक
19. डाक एवं तार
20. वैज्ञानिक विभाग

आयोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के सुझाव देते हुए 20 रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने 578 सुझाव दिये थे। केन्द्र सरकार ने आयोग द्वारा दी गई 80 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार कर लिया था। आयोग ने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों का अन्वेषण किया। आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को राज्यों के ध्यान में लाया गया, जिससे प्रभावी प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित हो सके। प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि हो।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में भारत सरकार के इस संकल्प के साथ स्थापित किया गया था कि लोक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए ए विस्तृत खाका तैयार किया जा सके। एक अध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य तथा एक सदस्य सचिव इस आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग में थे। इसके अध्यक्ष श्री वीरप्पा मोइली थे।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का जनादेश

सरकारी स्तर पर देश के लिए एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह. सतत कशल प्रशासन प्राप्त करने के लिए आयोग का जनादेश दिया गया था। निम्नलिखित विषयों की समीक्षा की :

1. भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना

लोकपाल एवं लोकायुक्त

लोकपाल

- विश्व का पहला ओम्बुडसमैन स्वीडन में 1809 में स्थापित हुआ।
- ओम्बुड्समैन स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है – जनता की शिकायतों को सुनने वाला।
- लोकपाल ओम्बुड्समैन का भारतीय नाम है।
- लक्ष्मीमल सिंधवी पहले व्यक्ति थे जिन्होनें लोकपाल शब्द का प्रयोग किया।
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने पहली बार लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की।
- मई, 1968 में पहली बार लोकपाल की स्थापना हेतु विधेयक लाया गया।
- अब तक 10 बार यह विधेयक लाया जा चुका है।
- यह अंतिम बार दिसम्बर, 2011 में लाया गया।

लोकपाल व लोकायुक्त 2013 की विशेषताएँ

लोकपाल एक संस्था है जिसमें एक सभापति के अलावा आठ अन्य सदस्य होंगे।

योग्यता

- सभापति ऐसा व्यक्ति होगा जो या तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो अथवा मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो अथवा समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति हो।
- लोकपाल के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे।
- लोकपाल में SC/ST/OBC महिला/अल्पसंख्यक वर्ग से एक–एक सदस्य होगा।
- न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- सभापति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर जायेगी।
- कार्यकाल – 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो।
- इनको हटाने हेतु संसद के 100 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाए। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से करवायी गयी जाँच के आधार पर इन्हें हटाया जा सकेगा।
- सभापति का दर्जा मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा।
- सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं दिया जायेगा।

लोकपाल का क्षेत्राधिकार

1. प्रधानमंत्री
2. केन्द्र सरकार के सभी मंत्री एवं पूर्व मंत्री
3. संसद के सभी सदस्य एवं पूर्व सदस्य
4. अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के सभी अधिकारी और सभी पूर्व अधिकारी
5. संसदीय कानून से स्थापित सभी समस्याओं के अधिकारी व कर्मचारी लोकपाल के दायरे में होगे।

शक्तियाँ

1. C.B.I. को जाँच के आदेश देना।
2. संबंधित व्यक्ति को समन जारी कर सकता है।
3. गवाही की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।
4. शपथ–पत्र पर गवाही देने को कह सकता है।
5. भ्रष्ट अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त कर सकता है।
6. लोकपाल के स्वयं के कोर्ट होंगे जिन्हे तीन माह में मामलों का निपटारा करना होगा।

लोकायुक्त

- उड़ीसा भारत का पहला राज्य जहाँ 1970 में लोकायुक्त के संदर्भ में कानून बनाया गया।
- महाराष्ट्र पहला राज्य था जहाँ 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।
- 1973 में राजस्थान में पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी।
- राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 में बनाया गया।
- आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे।
- K.P.U. मेनन राजस्थान के एकमात्र उपलोकायुक्त है।
- वर्तमान में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है।

योग्यता
किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुके है।

नियुक्ति
कॉलेजियम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।

कार्यकाल
5 वर्ष

हटाना
कदाचार तथा अज्ञानता के आरोप में राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से करवाई गयी जाँच के आधार पर।

क्षेत्राधिकार
मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सेवा निवृत्त अधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी, राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा सरपंच इसके दायरे में नहीं आते है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- भारत का **नागरिक** एक **सुचना का अधिकार** आवेदन प्रस्तुत कर सकता है
- **जनता** के अनुरोध पर **सूचना प्रदान** करने के लिए **प्रत्येक विभाग** में एक **सूचना अधिकारी** की नियुक्ति का प्रावधान करता है
- **सूचना प्रदान करने** के लिए **30 दिनों** की एक निश्चित **समय सीमा** होती है और **48 घंटे में सूचना** किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से संबंधित है
- **उचित शुल्क** पर या **गरीबी रेखा** से नीचे के लोगों के लिए **मुफ्त में** उपलब्ध कराई गई जानकारी
- यह **अधिनियम सार्वजनिक अभिकरण** पर स्वत: संज्ञान लेकर **सूचना का खुलासा** करने का दायित्व डालता है
- **केंद्रीय सूचना आयोग** और **राज्य सूचना आयोगों** के लिए प्रावधान करता है
- **अधिनियम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923** को अधिभावी करता है
- **कैबिनेट विचार-विमर्श** और **सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक**, या **आर्थिक हितों, विदेशी** राज्यों के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाली या किसी अपराध के लिए उकसाने वाली जानकारी को छोड़कर **20 वर्षों** के बाद छूट प्राप्त जानकारी की **सभी श्रेणियों** का **खुलासा** किया जाता है।

समाजशास्त्र

अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हो महत्वपूर्ण घटनाऐं घटित हुई –

1. फ्रांसीसी क्रांति
2. औद्योगिक क्रांति

- जिससे समाज में आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक परिवर्तन हुए जिन्हें सम्मिलित रूप से प्रबोध काल कहा गया।
- इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप समाज में नये संगठन व व्यवस्था के लिए नये विज्ञान की आवश्यकता महसूस की गयी।
- सर्वप्रथम फ्रांस निवासी सेन्ट साइमन ने सोशियल बायोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की।
- अगस्त कॉम्ट ने सोशियल फिजिक्स नामक पुस्तक की रचना की।
- 1838 में जिसे समाजशास्त्र नाम दिया गया।
- अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलोसोफी में 1836 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया।
- "Sociology" शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। Socius (सोशियस) लैटिन भाषा का तथा Logus (लोगस) ग्रीक भाषा का शब्द है।

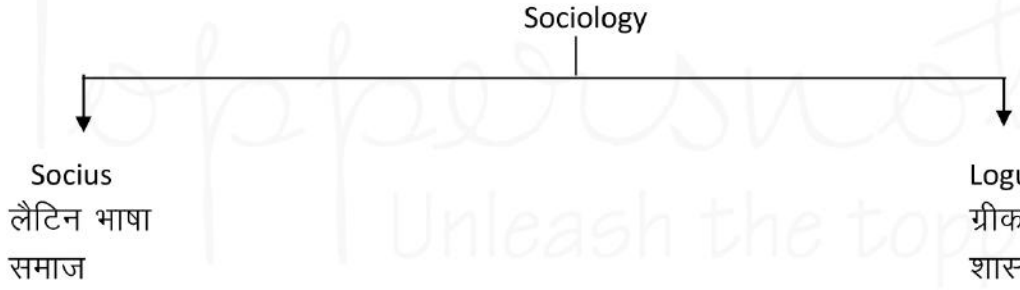

- शाब्दिक अर्थ – समाज का विज्ञान / समाज का शास्त्र
- जे.एस. मील ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध सन्तान कहा है।
- बीयर स्टीड – समाजशास्त्र का अतित बहुत लम्बा है लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है।
- जे.एस. मील ने समाजशास्त्र शब्द के स्थान पर Ethology शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया।
- समाजशास्त्र शब्द को प्रचलन में लाने का श्रेय हरबर्ट स्पेन्सर को जाता है।
- पुस्तक – The Principle of Sociology में।
- मैक्स वेबर द्वारा अपनी पुस्तक प्रोटेंस्टेट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अर्थव्यवस्था के विकास में धर्म की भूमिका का उल्लेख किया।

समाजशास्त्र का विकास

उद्भव – 1838 में अगस्त कॉम्ट के द्वारा
अध्ययन – 1876 में यू.एस.ए. येल विश्व विद्यालय में पढाया गया।
प्रथम अध्यापक – समनर

पुस्तक – Folk ways

- 1889 में फ्रांस में बोर्डिक्स विश्व विद्यालय में प्रथम प्रोफेसर – दुर्खीम
- 1907 में इंग्लैण्ड में

भारत में विकास

- 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र पढ़ाया गया।
- 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र (Economics) के साथ पढाया गया।
- 1919 में औपचारिक रूप से बम्बई में स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई।
  प्रथम अध्यक्ष – सर पेट्रिक गेड्स
- समाजशास्त्र का भारत में जनक जी.एस. धुर्ये को माना जाता है तथा दूसरे अध्यक्ष बने।
- 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में – राधाकमल मुखर्जी
- 1952 बम्बई में भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद् का गठन किया तथा जी.एस. धुर्ये अध्यक्ष बने।

परिभाषाएँ

- के. डेविस – ''समाजशास्त्र मानव समाज का विज्ञान है।''
- वार्ड/ओडम – ''समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है।''
- मैकाइवर एवं पेज – ''समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है।''
- कॉम्ट – ''समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है।''
  ''समाजशास्त्र सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी का विज्ञान है।
- दुर्खीम – समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का विज्ञान है।
  समाजशास्त्र सामूहिक विधान का विज्ञान है।
- जॉनसन – '' समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है।''
- सीमेल – समाजशास्त्र मानवीय अन्तः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है।
- हॉब हाऊस – समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अन्तः क्रियाओं का विज्ञान है।

समाजशास्त्र की प्रकृति

- समाजशास्त्र के प्रारम्भिक विचारक अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, बीयर स्टीड समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर थे।
- कार्ल पियर्सन – सभी विज्ञानों की एकता उसकी वैज्ञानिक पद्धति से है न कि विषयवस्तु से।
- स्टुअर्ट चेज – विज्ञान का संबंध अध्ययन से है न कि उसकी विषय वस्तु से।

वैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएँ

1. समस्या का चुनाव
2. उपकल्पना का निर्माण
3. वर्गीकरण
4. अवलोकन

5. विश्लेषण
6. सामान्यीकरण
7. भविष्यवाणी

विज्ञान की विशेषताएँ

1. वस्तुनिष्ठता
2. मूल्य तटस्थता
3. कार्य कारणता
4. सत्यापन शीलता
5. सैद्धान्तिक
6. आनुभाविकता
7. संचयी प्रकृति

- सी.डब्ल्यू ने अपनी पुस्तक ''सोशियोलॉजी इमेजिनेशन'' में समाजशास्त्र के विज्ञान होने का खण्डन किया।
  (i) समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है।
  (ii) समाजशास्त्र की भविष्यवाणी सही नहीं होती। अतः समाजशास्त्र विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है।
- बीयर स्टीड ने समाजशास्त्र को सामाजिक, प्रत्यक्षवादी, विशुद्ध, आनुभाविक एवं सैद्धान्तिक विज्ञान कहा।
- कॉम्ट ने समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी कहा।
- जॉनसन ने समाजशास्त्र विज्ञान की 4 विशेषताएँ बताई –
  1. अनुभव आश्रित है।
  2. नीति निरपेक्ष है।
  3. एक संचयी विषय है।
  4. सिद्धांतबद्ध है।

नोट – समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि पद्धांतिक है।

केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (Central Tendency)

सांख्यिकी माध्यों के प्रकार

1. **स्थिति संबंधी माध्य**
   (i) बहुलक
   (ii) माध्यिका

2. **गणितीय माध्य**
   (i) समान्तर माध्य
   (ii) गुणोत्तर माध्य
   (iii) हरात्मक माध्य
   (iv) वर्गकरणी या द्वितीय माध्य

3. **व्यापारिक माध्य**
   (i) चल अथवा गतिमान माध्य
   (ii) प्रगामी या संचयी माध्य
   (iii) संग्रहीत माध्य

1. स्थिति संबंधी माध्य

(i) बहुलक (Mode)

- Mode शब्द फ्रेंच भाषा के La Mode से लिया गया हैं। जिसका अर्थ हैं रिवाज या फैशन।
- सांख्यिकी में बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो समंकमाला मे सबसे अधिक बार आता हैं।

अखंड़ित श्रेणी में बहुलक

$$Z = L_1 + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_3} \times i$$

बहुलक के गुण

1. दैनिक प्रयोग की वस्तुओं जैसे जूते, सिले सिलाये कपड़ो आदि के संबंध में औसत आकार का तात्पर्य बहुलक से ही होता हैं।
2. चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव –
3. बहुलक का मूल्य रेखाचित्र बनाकर भी निर्धारित किया जा सकता हैं।
4. बहुलक श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता हैं।

(ii) माध्यिका (Median)

किसी श्रेणी के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वहीं माध्यिका कहलाता हैं।

माध्यिका का निर्धारण

1. **व्यक्तिगत श्रेणी** – आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे।

   माध्यिका $(M) = \left(\frac{N+1}{2}\right)^{th}$ संख्या (जब N विषम संख्या है।)

   $(M) = \left(\frac{N}{2}\right)^{th}$ तथा $\left(\frac{N}{2}+1\right)^{th}$ का औसत जब N = सम संख्या हो।

   सूत्र = $M\left(\frac{N+1}{2}\right)^{th}\ Item$

2. **खंडित श्रेणी** – सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात करेंगे।

   माध्यिका $= M = \frac{N+1}{2}$

3. **अखंड़ित श्रेणी**

   सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती हैं।

   = $\frac{N}{2}$ वाँ मान (समावेशी श्रेणी हैं तो अपवर्जी में बदला जायेगा)

   माध्यिका $= (M) = L_1 + \frac{i}{F}(m-c)$

   L_1 – निचली सीमा i = वर्ग अन्तराल

   F = माध्यिका वर्ग की बारम्बारता

   m = मध्यका संख्या (N/2)

   c = माध्यिका वर्ग से ऊपरी वर्ग की संचयी बारम्बारता

माध्यिका के लाभ

1. चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव।
2. रेखाचित्र खींचकर भी माध्यिका का निर्धारण किया जा सकता हैं।
3. माध्यिका एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य हैं। बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं हैं।
4. ऐसे तथ्य जो प्रत्यक्ष रूप से मापनीय हो, उनमे माध्यिका सर्वोत्तम होती हैं। जैसे – बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, दरिद्रता आदि।

विभाजन मूल्य (चतुर्थक, दशमक, अष्ठमक, शतमक)

माध्यिका श्रेणी को दो बराबर भागों मे विभाजित करता हैं। एक समंक माला में 3 चतुर्थक, 4 पंचमक, 7 अष्टमक, 9 दशमक व 99 शतमक होते हैं जिनमें से दूसरे चतुर्थक, चौथे अष्टमक, पाँचवे दशमक, पचासवे शतमक का मूल्य माध्यिका मूल्य के बराबर होता हैं।

विभाजन मूल्यों का निर्धारण

व्यक्तिगत तथा खंड़ित श्रेणी

$Q_1 = \frac{N+1}{4}$ वाँ मान $\qquad$ $Q_3 = \frac{3(N+1)}{4}$ वाँ मान

$D_3 = \frac{3(N+1)}{10}$ वाँ मान $\qquad$ $D_7 = \frac{7(N+1)}{10}$ वाँ मान

$O_1 = \frac{N+1}{8}$ वाँ मान $\qquad$ $O_7 = \frac{7(N+1)}{8}$ वाँ मान

अखंड़ित श्रेणी

इस श्रेणी में (N+1) के स्थान पर N/2 का प्रयोग किया जाता हैं।

$Q_1 = \frac{N}{4}$ वाँ मान

$Q_1 = L_1 + \frac{i}{F}(q_1 - c)$

$Q_3 = \frac{3N}{N}$ वाँ मान

$Q_3 = L_1 + \frac{i}{f}(q_3 - c)$

$D_1 = \frac{N}{10}$ वाँ मान

$P_{98} = \frac{98\,N}{100}$ वाँ मान

मानव विकास सूचकांक

(Human Devevopment Index)

- मानव विकास सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) (मख्यालय- न्यूयॉर्क) द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले 1990 में एचडीआई रिपोर्ट जारी की गई थी। जिसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा अमत्यसेन (भारत) और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया और सम्मिलित किया उनका उद्देश्य विकास अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, राष्ट्रीय आय लेखा से मानव-केन्द्रित नीतियों पर स्थान्तरित करना था।
- मानव विकास सूचकांक का निम्नतम मान 0 तथा अधिकतम मान 1 होता है। समग्र सचकांक के निर्माण के लिए, जिन तीन संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है, वे निम्नलिखित हैं:

शिक्षा

- स्कूली शिक्षा के औसत वर्षः स्कूली शिक्षा के अनुमानित साल की अधिकतम सीमा 18 वर्ष होती है।
- शिक्षा के औसत वर्षः इसमें 25 वर्ष तक के वयस्कों को प्राप्त शिक्षा के औसत वर्ष को शामिल किया जाता है। इसके आंकड़े यूनेस्को द्वारा । उपलब्ध कराये जाते हैं।
- स्वास्थ्यः लंबे और स्वस्थ जीवन आयाम को जन्म के समय जीवन । प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है।
- जीवन स्तरः जीवन स्तर को आमतौर पर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) द्वारा मापा जाता है। जीएनआई, एक निश्चित देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में निर्मित कुल घरेलू और विदेशी उत्पादन को इंगित करता है।

मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2020

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) द्वारा 16 दिसम्बर, 2020 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) में 189 देशों में, अपने पिछले स्थान से दो पायदान फिसलकर, 131वें स्थान पर आ गया है। गत वर्ष भारत इस सचकांक में 129वें स्थान पर था।

रिपोर्ट के अनुसार

- नॉर्व प्रथम स्थान पर है, इसके बाद क्रमशः आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड हैं।
  सर्वोच्च सूचकांक वाले नॉर्वे देश का स्कोर 0.957 है।
- निम्न मानव विकास श्रेणी में 189वें स्थान पर नाइजर, है जो सबसे कम रैंक वाला देश है, जिसका स्कोर 0.394 है।
- भारत (131), भूटान (129), बांग्लादेश (133), नेपाल (142) और पाकिस्तान (154) को मध्यम मानव विकास वाले देशों में स्थान दिया गया।
- इंडेक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति श्रीलंका की है जिसे 0.782 अंकों के साथ 72वें स्थान रखा गया है। वहीं मालदीव को 95वें पायदान पर जगह मिली है।
- ब्रिक्स समूह में, रूस मानव विकास सूचकांक में 52, ब्राजील 84 और चीन 85वें स्थान पर था।

भारत की स्थिति

- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत का HDI मान 0.429 से बढ़कर, 0.645 हो गया है, यानी इसमें 50.3% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जो दक्षिण एशियाई औसत 69.9 वर्षों की तुलना में थोड़ी कम थी। -
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत में, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वद्धि हुई है।
- भारत में स्कूली शिक्षा के लिए प्रत्याशित वर्ष 12.2 थे, जबकि बांग्लादेश में 11.2 और पाकिस्तान में 8.3 वर्ष थे।
- वर्ष 1990 और 2019 के बीच स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित औसत वर्षों में 3.5 वर्ष की वद्धि हुई तथा स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित अनुमानित वर्षों में 4.5 वर्ष की वृद्धि हुई।

- प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट के बावजूद, वर्ष 2019 में कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। प्रति व्यक्ति GNI 2018 की 6427 डॉलर से बढ़कर 2019 में 6,681 डॉलर हो गई।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत के प्रति व्यक्ति GNI में लगभग 273.9% की वृद्धि हुई है।
- मानव विकास सूचकांक- 2020 में पृथ्वी पर दबाव मानव विकास सूचकांक को पेश किया गया है, जिसमें दो नए घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और मैटेरीयल फुटप्रिंट (सामग्री के पद-चिन्ह) को भी जोड़ा गया है।
- इसी तरह यदि नए जुड़े दो घटकों की बात करें तो उस मामले में भारत का स्थिति शेष विश्व से काफी बेहतर है। यदि भारत के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को देखें तो वो 2 टन है जो कि वैश्विक आसत 4.6 टन से काफी कम है।
- इसी तरह प्रति व्यक्ति घरेलू सामग्री की खपत की बात करें तो वो प्रति व्याक्त 5.5 टन है. जो कि वैश्विक औसत 12.3 टन से काफी कम है।
- सूचकाक दबाव समायोजित मानव विकास (PHDI) के आधार पर आकलन करने पर HDI में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे देश, PHDI में 15 स्थान च चला जाता है। PHDI सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आयरलैंड देश तथा भारत HDI रैंकिग से, PHDI में 8 स्थान ऊपर आ जाता है।
- लेगिंक असमानता सूचकांक (GIT) 2021-22 में भारत 162 देशों में से 112 वे स्थान पर है। हालांकी यदि भारत में पुरुषों और महिलाओं के विकास को देखें तो काफी असमानता है। इस इंडेक्स के अनुसार जहाँ परुषों के अंक 0.699 हैं वहीं महिलाओं के विकास को 0.573 आंका गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स 2021 में भारत 156 दशा में 140वें स्थान पर है

  इसी तरह जहाँ 2019 में पुरुष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 10,702 डॉलर आंकी गई है, वहीं महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2331 डॉलर है।

HDI और PQLI में अन्तर

HDI	PQLI
1. यह मानव विकास सूचकांक है।	1. यह फिजीकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है।
2. HDI विकास के भौतिक एवं वित्तीय दोनों पहलओं से सम्बन्ध रखता है।	2. PQLI जीवन के भौतिक पहलू से ही सम्बन्ध रखता है।
3. इसके तीन आयाम होते है।. I. जीवन प्रत्याशा (स्वस्थ जीवन) II. आय III. शिक्षा	3. इसके तीन आयाम है I शिशु मृत्यु दर II जीवन प्रत्याशा III. बुनियादी साक्षरता दर
4. इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापना होता है।	4. इसका उद्देश्य किसी देश के जीवनया कल्याण की गुणवत्ता को मापना होता है।

धारणीय विकास और हरित लेखांकन

सतत् विकास का अर्थ

(Meaning of Sustainable Development)

शब्द 'सतत् विकास' का सबसे पहली बार प्रयोग 'वर्ड कन्सर्वेशन स्ट्रेटजी' द्वारा किया गया जिसे 'प्रकृति और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष ने 1980 में प्रस्तुत किया।

ब्रण्डटलैण्ड रिपोर्ट (Brundtland Report 1987) के अनुसार सतत् विकास का अर्थ है वर्तमान पीढी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना पूरा करना।।

अतः सतत् विकास का अर्थ उस विकास से है जिसे निरन्तर चालू रहना चाहिये। यह सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत् सुधार की रचना है जिसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधारों और प्राकृतिक पर्यावरणीय साधनों की गुणवत्ता में सुधारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

अन्य शब्दों में यह वह स्थिति है जिसमें समय के साथ आर्थिक विकास कम नहीं होता। इसे विकास के ऐसे पथ के रूप में संशोधित किया जा सकता है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के विकल्पों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनाये गये मार्ग द्वारा समझौता नहीं किया जाता।

सतत् विकास का उद्देश्य

(Objectives of Sustainable Development)

सतत् विकास के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नवत् है:

1. सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत् सुधारों का सृजन।
2. आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करके आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना अर्थात् जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
3. सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करना।
4. अन्तरप्रजननात्मक निष्पक्षता का संवर्धन।
5. आर्थिक विकास के शुद्ध लाभों को अधिकतम बनाने का लक्ष्य रखना बशर्ते कि सभी पर्यावरणीय और प्राकृतिक साधनों का भण्डार सुरक्षित रहे।
6. पर्यावरणीय भण्डार तथा भविष्य की पीढियों को हानि पहँचाये बिना मानवीय एवं भौतिक पूँजी के संरक्षण और वृद्धि के लिये आर्थिक विकास को तीव्र करने का लक्ष्य रखना।
7. दृढ़ सतत् विकास प्राप्त करने का लक्ष्य रखना ताकि प्राकतिक पूँजी भण्डार कम न हो। इसके अतिरिक्त दुर्बल सततीयता की आवश्यकता है कि भौतिक मानवीय और प्राकृतिक पूँजी भण्डारों का मूल्य कम न हो।

सतत् विकास के लिये शर्ते / उपाय

(Conditions/Measures for Sustainable Development)

- सतत् विकास का मापन प्रायः कठिन होता है। इसमें पर्यावरणीय हानि का मूल्यांकन तथा इसको रोकने पर आने वाली लागत से तुलना सम्मिलित होती है। इसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे पूँजी स्टाक का मापन प्राकृतिक साधनों का लेखा और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और उपयोग के बीच वैकल्पिक सन्तुलन बनाये रखने के लिये उचित छूट दर का प्रयोग। तथापि यहाँ हम सतत् विकास की प्राप्ति की शर्तों पर परिचर्चा करेंगे।

जो निम्नलिखित हैं:

1. **प्राकृतिक पूँजी भण्डार का मापन (Measuring Natural Capital Stock) :** प्राकृतिक साधनों सम्पत्तियों अथवा पर्यावरणीय सम्पत्ति के भण्डार में सम्मिलित है- भूमि का उपजाऊपन, वन, मत्स्य क्षेत्र, अपशिष्ट के समावेशन की क्षमता, तेल, गैस, कोयला, ओजोन की परत और बायोजियोकैमीकल साइकल्स (Biogeochemical Cycles)
   - सतत् विकास की पूर्वापेक्षित शर्त यह है कि प्राकृतिक पूँजी भण्डारों का संरक्षण और सुधार किया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक पूँजी भण्डार कम-से-कम सतत् स्थिति में अवश्य रहने चाहिये।
   - इसका मापन प्राकृतिक पूँजी भण्डार में परिवर्तनों के लागत-लाभ विश्लेषणों के सन्दर्भ में किया जा सकता है। इसी प्रकार जब वातावरण को साफ रखा जाता है तो यह हम सब के लिए लाभप्रद होता है।
   - अतः सततता का अर्थ है प्राकृतिक पूँजी सम्पत्ति का संरक्षण और सधार। कछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि प्राकृतिक पूँजी को कोई महत्व न दिया जाये तथा इसके स्थान पर आदमी द्वारा निर्मित पूँजी और मानवीय पँजी को अधिक महत्व दिया जाये।
   - उनका विचार है कि सतत् विकास का सम्बन्ध संरक्षण और सुधार से है जिसमें समस्त पूँजी भण्डार सम्मिलित हैं- आदमी द्वारा निर्मित पुँजी और मानवीय पूँजी। इस विचार को दक्षता और अन्तर-पीढ़ी समानता के साथ आगे बढ़ाया गया।

वैदिक एव उपनिषद दर्शन – मूल अवधारणाएँ

वैदिक काल में धर्म को ही दर्शन कहा जाता था।

वेद

- वेद शब्द ''विद्'' धातु से बना है जिसका अर्थ है – जानना या ज्ञान प्राप्त करना।
- वेदों के भाष्यकार भास्क व सायण थे।
- वैदिक ज्ञान को साक्षात तपोबल के द्वारा सर्वप्रथम ऋषि–मुनियों ने सुना। इसी ज्ञान को ऋषि मुनियों ने मौखिक रूप से आगे बढ़ाया इस कारण वेदों को श्रुतिग्रंथ कहा जाता है।
- वेदों को अपौरुवेय भी कहा जाता है।
- वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है।

1. ऋग्वेद

- ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 सूक्त है।
- वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है।
- इस कारण वेदों के मंत्रों को रचने वाले के लिए दृष्टा शब्द काम में लिया जाता हैं।
- **ऋत्विज–** यज्ञ के समय वेदों के ज्ञान का उच्चारण करने वालों के लिए ऋत्विज कहा गया।
- ऋग्वेद का ऋत्विज होता या होतृ कहलाते थे।

2. यजुर्वेद

- इससे यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है।
- यजुर्वेद गद्य व पद दोनों मे रचित है।
- यजुर्वेद का ऋत्विज अर्ध्वयु कहलाता है।
- यजुर्वेद की पाँच शाखाएँ है – काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी तेतरेय, वाजसनेयी

3. सामवेद

- संगीत का प्रचीनतम ग्रंथ है।
- सामवेद का ऋत्विज उद्गाता कहलाता है।
- सामवेद की शाखाएँ कौयूम, रामायणीय, जैमिनीय है।

4. अथर्ववेद

- तांत्रिक क्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
- इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है।
- वेद की शाखाएँ – सोनक व पिपलाद है।
- त्रिवेद – ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
- वेदत्रयी – यहाँ त्रयी का अर्थ विद्या से है। तीन वेदों में बतलाई गयी विद्या वेदत्रयी कहलाती है।
- ऋक विद्या, यजु विद्या, साम विद्या
- त्रेविद्य – तीन वेदों का ज्ञाता
- त्रिवर्ग – धर्म, अर्थ, काम
- प्रस्थानत्रयी – उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता

ब्राह्मण ग्रन्थ

- इन्हें वेदों की टिकाए भी कहा जाता है।
- अर्थर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ – गोपल ब्राह्मण ग्रंथ
- ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ – एतरैय व कोषितकी
- यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ – तैतरैय व शतपथ ब्राह्मण
- सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ – पंचविश, षडविंश, जैमिनीय

उपनिषद्

- वैदिक साहित्य का द्विविध विभाजन
- कर्म काण्ड– वेद – ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ
- ज्ञान काण्ड – उपनिषद्

पूर्ववैदिक काल धार्मिक जीवन

1. प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण
2. देवताओं का मानवीकरण

देवताओं का वर्गीकरण

प्रमुख देवता

इन्द्र – ऋग्वेद में इन्द्र का 250 बार उल्लेख मिलता हैं।
इन्द्र को वर्षा का देवता माना गया। प्रमुख रूप से युद्ध के देवता थे।

अग्नि – इन्हें अतिथि देवता के रूप में भी जाना जाता है।
ऋग्वेद में अग्नि को भुवनचश्रु कहा गया।

वरूण – वरूण शब्द 'वर' धातु से बना है जिसका अर्थ है – ढकने वाला।
वरूण को आकाश का देवता भी कहा जाता है।
ऋग्वेद में वरूण का 144 बार उल्लेख है।
वरूण को नैतिकता का देवता भी माना जाता है।
वरूण को ऋतस्य गोप अर्थात् ऋत का संरक्षक भी माना जाता है।

सोम – ऋग्वेद का सम्पूर्ण 9वाँ मण्डल इस देवता को समर्पित है। सोम एक प्रकार की वनस्पति है।
इस देवता का निवास स्थान हिमालय पर्वत की मुजवन्त चोटी को बताया गया है।

आर्यों के धार्मिक विकास के चरण

1. बहुदेववाद
2. एकेश्वरवाद
3. एकतत्ववाद

मैक्समूलर ने तीन चरण बताये

1. बहुदेववाद
2. एक–एक अधिदेववाद (हीनोथीज्म)
3. एकेश्वरवाद

हीनोथीज्म – उपासना करते समय सभी देवी–देवताओं में से किसी एक को मन में प्रधान मानने की भावना।
एकतत्ववाद – एकतत्ववाद के दो रूप मिलते हैं।

1. **सवैश्वरवाद्र**– इस विचार धारा के अनुसार सम्पूर्ण सत्ता ही ईश्वर ही सम्पूर्ण सत्ता है।
2. **कुटस्थवाद**– इस विचारधारा के अनुसार परमतत्व एक है वहीं प्राणी जगत, भौतिक जगत में अभिव्यक्त हुआ है। ऋग्वेद में परम तत्व के लिए **तदैकम** शब्द का उल्लेख मिलता है।

काल का धार्मिक जीवन

- इस काल में आर्यों का धार्मिक जीवन जटिल व **आडम्बरपूर्ण** व यज्ञ प्रधान हो गया।
- इस काल को वेदवाद का युग भी कहा जाता है।
- इस काल में ब्रह्म विष्णु, शिव प्रमुख देवता बन गये।
- इसी काल में पंच महायज्ञ व त्रिऋण की अवधारणा का विकास हुआ।

वैदिक सूत्र

- अत्यन्त संक्षिप्त व सार गर्भित वाक्यों को सूत्र कहा जाता है। वैदिक सूत्र तीन प्रकार के होते है।
  (1) **श्रोत सूत्र** – इसमें सार्वजनिक पूजा का उल्लेख मिलता है।
  (2) **गृह सूत्र** – इसमें घर–परिवार से संबंधित नियम मिलते हैं।
  (3) **धर्म सूत्र** – इसमें वर्ण आश्रय व पुरुषार्थ से संबंधित बातों की जानकारी मिलती हैं।

उपनिषद दर्शन या वेदान्त दर्शन

- उपनिषद का शब्दिक अर्थ है निकट निष्ठापूर्वक बैठना अर्थात् गुरू के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। भारत में सर्वप्रथम दार्शनिक विचारधार का उल्लेख उपनिषदों में मिलता हैं।
- ब्रह्मा विचारधारा व मोक्ष का भी सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है।
- उपनिषदों की संख्या 108 मिलती हैं।
- शंकराचार्य ने प्रमुख उपनिषद 11 माने जाते है।

प्रमुख उपनिषद

1. **वृहदारण्यक उपनिषद**– इस उपनिषद में याज्ञवलक्य व गार्मी संवाद के मिलता है।
2. **ईशावस्य उपनिषद**– इस उपनिषद में नैतिकता से संबंधित बातें बतायी गयी।
3. **केन उपनिषद**– इस उपनिषद को ब्राह्मण उपनिषद व तत्वकार उपनिषद भी कहा जाता है।
4. **कुढोपनिषद्**– इस उपनिषद में **यम व निचिकेता** के संवाद का उल्लेख है।
5. **छान्दोग्य उपनिषद**– इस उपनिषद में **उध्दालक** व **श्वेतकेतु** सवांद के द्वारा ब्रह्मा व आत्मा की एकता को बताया गया है।
   - दार्शनिक चिन्तन का चर्म उत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है।

उपदेश

- शंकराचार्य के अनुसार उपनिषदों से तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान जो समस्त प्रकार के अज्ञान को समाप्त कर देता है।
- डायसन ने 60 उपनिषदों का जर्मन भाषा मे अनुवाद किया था।
- उपनिषदों में कर्म काण्डों की आलोचना की गयी हैं।
- मुण्डकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नोका बताया गया है।
- उपनिषद ज्ञान मार्गी है।

सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य

अर्थ एवं प्रकृति

- मानव को आधार मानकर किया गया अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है।
- मानवीय परिपेक्ष्य में किया गया समाज का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है।
- किसी भी देश की उन्नति या अवनति वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है।
- सर्वप्रथम 1892 में अमेरिका में सामाजिक अध्ययन की शुरूआत की गई।
- सामाजिक अध्ययन की प्रकृति एकीकृत या सलयनकारी है।

सामाजिक अध्ययन की शुरूआत

- 1892 – अमेरिका में शुरूआत की गई।
- 1911 – समाजशास्त्र विषय जोडा गया।
- 1916 – संवैधानिक मान्यता दी गई।
- 1921 – राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की गई।
- 1934 – सामाजिक अध्ययन आयोग की स्थापना।
- 1952 – 53 माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना।
- 1955 – स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई।

परिभाषाएँ

- यू.एस.ए परिषद् – "सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है।"
- राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् – सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा अपने वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है।"
- पीटर लुईस – "सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखते है जो मनुष्य के समाज एवं सामाजिक विकास को संचालित करते है।"
- बेस्ले – सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते है।
- एम.पी.मुफात – सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवको को आधुनिक सभ्यता को समझने में सहायता करता है।
- रेवलिस – विज्ञान अन्तः चेतना के अभाव में आत्मा का हनन करती है।

सामाजिक अध्ययन की विशेषता

1. सामाजिक अध्ययन मानव एवं उसके संबंधों का अध्ययन करता है।
2. यह मानवीय संबंधों पर बल देता है।
3. सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है।
4. सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार प्रदान करता है।
5. सामाजिक अध्ययन हमारे दैनिक जीवन पर विश्व की घटनाओं का अध्ययन करता है।
6. सामाजिक अध्ययन विद्यार्थियों को वातावरण समझने में सहायता प्रदान करता है।
7. सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान का क्षेत्र है।
8. सामाजिक अध्ययन विषय वस्तुओं का एकीकरण रूप है।

9. सामाजिक अध्ययन में अतीत एवं वर्तमान घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
10. यह अध्ययन मानव के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है।
11. सामाजिक अध्ययन मानव व उसके भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है।
12. सामाजिक अध्ययन विषयों की सापेक्षता पर बल देता है।

सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में अन्तर

सामाजिक विज्ञान	सामाजिक अध्ययन
1. इसकी विषय–वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है।	1. सामाजिक अध्ययन की विषय–वस्तु निम्न होती है।
2. सामाजिक विज्ञान व्यस्कों के लिए है।	2. सामाजिक अध्ययन बालकों के लिए।
3. इसका क्षेत्र विस्तृत है।	3. इसका क्षेत्र संकुचित है।
4. यह सैद्धांतिक है।	4. यह व्यवहारिक है।

शिक्षा में सामाजिक अध्ययन का महत्व

1. विभिन्न सामाजिक आदतों एवं कुशलताओं का अध्ययन करना।
2. व्यक्ति को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित होने में समर्थ बनाना।
3. समाज की प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
4. सामाजिक जीवन को सफल एवं उन्नत बनाने में उपयोगी।
5. सामाजिक जागरूकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक।
6. व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक शक्तियों के विकास में सहायक।
7. विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोगी।
8. सहयोगी भावना विकसित करने में सहायक।
9. व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक।
10. व्यक्तियों को उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सहायक है।
11. सामाजिक अध्ययन समाज में एकरूपता एवं दृढ़ता लाने में सहायक है।
12. सामाजिक अध्ययन संस्कृति एवं विरासत के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है।

सामाजिक अध्ययन के शिक्षण उद्देश्य

ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया

1. ज्ञानात्मक उद्देश्य –

- 1956 में
- इसका संबंध बच्चों के कक्षा–कक्ष शिक्षण से होता है।
- इसके निम्न पद है–
  ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन

2. भावत्मक उद्देश्य –

- 1964 में करथवाल ने प्रर्वतन किया।
- इसका संबंध बच्चों की रूचि एवं भावनाओं से होता है।
- इसके निम्न पद है – ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण

3. क्रियात्मक उद्देश्य –

- 1969 में सिंपसन ने प्रवर्तन किया।
- इसका सम्बन्ध बच्चे की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं से होता है।
- इसके निम्न पद है–
- उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, संभावीकरण, आदत निर्माण।

NCERT के अनुसार शिक्षण उद्देश्य

1. ज्ञान – पहचान करना, तथ्य, नियम, सूत्र, परिभाषा, सिद्धान्त।
2. अवबोध – उदाहरण देना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण, संश्लेषण, सूची बनाना।
3. ज्ञानोपयोग – ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना।
4. कौशल – चित्र बनाना, मॉडल बनाना, ग्लोब बनाना, चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना।
5. अभिरूचि – जीवनियाँ पढ़ना, साहित्य पढ़ना, औरों की मदद करना।
6. अभिवृत्ति – सकारात्मक, आशावादी, धनात्मक, वैज्ञानिक।

नोट – शिक्षण का 4H सूत्र – गाँधी जी ने दिया – (Health, Hand, Head, Heart)

सामाजिक अध्ययन–शिक्षण के मूल्य

1. उच्च आदतों एवं कृतियों का विकास
2. विभेद एव चयन करने में सहायक
3. सामाजिक कुशलता
4. मानसिकता का विकास
5. आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक
6. व्यवहारिक उपयोगिता
7. स्वतंत्र अध्ययन का विकास

समाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम

- पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के Curriculum शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के Currere शब्द से बना है जिसका अर्थ है "दौड का मैदान" पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है।
- क्रो & क्रो – "पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर के अनुभव सम्मिलित है। इसमें बालकों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक विकास में सहायक है।"
- मुनरो – "पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है।"
- माध्यमिक शिक्षा आयोग – "पाठ्यक्रम में वें समस्त विद्यालय की क्रियाएँ शामिल है जो एक शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य व शिक्षार्थी के वातावरण में शामिल है।
- पाठ्यवस्तु/पाठ्यचर्या – पाठ्यचर्या का रूप व्यापक है। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम शामिल है। पाठ्यचर्या का निर्माण शैक्षिक एजेन्सियों द्वारा किया जाता है जिसमें विद्यालय की सम्पूर्ण इकाईयों को शामिल किया जाता है। पाठ्यचर्या में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों की क्रियाएँ शामिल होती है।

प्रमुख आयोग

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग – 1948–49 डॉ. सर्वपल्ली – राधाकृष्णन आयोग
2. माध्यमिक शिक्षा/मुदालियर आयोग – 1952–53
3. कोठारी आयोग/शिक्षा आयोग – 1964–66
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005
6. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020

पाठ्यचर्या प्रक्रिया के निम्न भाग है

1. पाठ्यक्रम के उद्देश्य विकसित करना।
2. विषय–वस्तु का चयन करना।
3. विषय–वस्तु का संगठन करना।
4. अधिगम प्रक्रिया शामिल करना।
5. उपलब्धियों का विकास करना।

पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त

1. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त
2. सामाजिक सिद्धान्त
3. अनुभव आधारित सिद्धान्त
4. परिपक्वता का सिद्धान्त
5. संबंधों के स्पष्टीकरण का सिद्धान्त
6. समस्याओं के चयन का सिद्धान्त
7. उपयोगिता का सिद्धान्त
8. अवधारणात्मक उपागम का सिद्धान्त
9. विविधता एवं लचिलेपन का सिद्धान्त

महत्वपूर्ण तथ्य

1. नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है – बैरेल
2. शिक्षण विद्यालय की आत्मा है – बाइनिंग व बाइनिंग
3. सामाजिक विज्ञान में तीन प्रकार के सहसंबंध पाये जाते है।